न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर, छ.ग.
रा.प्र.क. 202310075300018/अ–6/23–24,
मौजा– बिरकोना, तहसील बिलासपुर, छ.ग.
आवेदक–राज कन्स्ट्रक्शन द्वारा–भागीदार अर्जुन सिंह कछवाहा पिता शैलेन्द्र सिंह वगै.
निवासी–रतन विला सागा ले आउट उसलापुर।

03/09/2024	–प्रकरण अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर से प्रतिवेदन सहित प्राप्त। –प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर आवेदक को उनके निजी भूमि स्वामी हक एवं कब्जे की भूमि के अतिरिक्त उपलब्ध अन्य भूमि के स्वरूप को अपरिवर्तित रखने की शर्त पर हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा को प्रतिहस्ताक्षर सत्यापित करते हुये आवेदक को प्रदाय किया गया एवं वर्तमान में मौका निरीक्षण में आवेदक द्वारा मिट्टी डालकर अपने भूमि तक पहुँचने हेतु अस्थायी रास्ता के रूप में खसरा नंबर 1331 का उपयोग किया जा रहा है। –उपरोक्त आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पुनर्विलोकन की अनुमति मॉग की गई है। –अतएव प्रकरण का परिशीलन उपरान्त अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर द्वारा रा.प्र.क. 202310075300018/अ–6/23–24, पक्षकार–राज कंस्ट्रक्शन द्वारा भागीदार–अर्जुन सिंह कछवाहा पिता शैलेन्द्र वगैरह में पारित आदेश दिनॉक 11.10.2023 की पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर किये जाने हेतु, छ.ग.भू.रा., 1959 की धारा–51 के अधीन पुनर्विलोकन की अनुमति दी जाती है। –प्रकरण अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर को मूलतः नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु वापिस। अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलासपुर, छ.ग. अनुविभागीय अधिकारी (रा) बिलासपुर (छ.ग.) अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर, छ.ग.

रा॰प्र॰क्र॰ 202310075300018/अ-6/23-24

13.9.24 प्रकरण अ॰वि॰अ॰ (रा॰) बिलासपुर से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त होने उपरांत वापस प्राप्त।

प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 11.10.23 पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त होने से स्वयमेव शून्यवत हो गया है।

प्रकरण में आवेदकगण राज कंस्ट्रक्शन द्वारा भागीदार अर्जुन सिंह कछवाहा पिता शैलेन्द्र सिंह कछवाहा वगैरह निवासी- उसलापुर तह सकरी जिला- बिलासपुर छ॰ग॰ द्वारा मौजा बिरकोना प॰ह॰ न॰ 47 (रा॰न॰1) स्थित भूमि ख॰न॰ 1330/2 रकबा 0.279 हे॰ भूमि से लगे शासकीय ख॰न॰ 1331 है, पर आने जाने हेतु 30 फिट चौड़ा रास्ता उक्त शासकीय भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।

प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तावेजों के अवलोकन परिशीलन से भूमि बंटन/व्यवस्थापन के संबंध में लागू छ॰ग॰ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र क्र॰ एफ-7-117/सात-1/2011 वर्ष 2011 के अनुसार सार्वजनिक मार्ग, आवेदित कालोनी भू खंड के मध्य शासकीय भूमि अथवा निजी भूमि है को पहुँच मार्ग हेतु शासकीय भूमि का आबंटन नियमानुसार मार्ग निर्माण हेतु किया जा सकेगा। अतः आवेदक उपरोक्त पत्र अनुसार भूमि बंटन हेतु सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

प्रकरण में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत -

क्रमशः

रा०प्र०क्र० 202310075300018/ अ-6/23-24

आवेदन प्रारंभ से ही विधिसंगत नहीं है। प्रकरण में पूर्व में की गयी समस्त कार्यवाही एवं आदेश वैधानिक प्रावधानों के विपरित होने के कारण खारिज किया जाता है।

वाचक आवेदकगण से टीप करवाने उपरांत प्रकरण नस्तीबद्ध कर दा०द० हो।

3.9.24

अतिरिक्त तहसीलदार
बिलासपुर (छ.ग.)